

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1245] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2013/ज्येष्ठ 10, 1935 No. 1245] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2013/JYAISTHA 10, 1935

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 2013

अधिसूचना

का.आ. 1402(अ) — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पात परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्न्लिखत और संशाधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 17 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

"17.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. ४४ए, सं. ५४, सं. ५४ए, सं. ५४बी, सं. १५०, सं. १५४ और	मिज‼स	राज्य
	नया रारा सं. 502ए के उतने भाग मिजारम राज्य में अवस्थित हैं ।	सरकार"।	

[फा.सं. एनएच-14013/12/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना का का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.-866 (अ), तारीख 01 अप्रैल, 2013 द्वारा संशाधित किया गया था ।

(1)

2436 GI/2013

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2013

S.O. 1402(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Schedule to said notification, for serial number 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"17	So much of National Highways No.44A, No. 54, No. 54A, No.54B, No. 150, No. 154 and new National Highway No.	State Government of Mizoram".
	502A as are situated within the State of Mizoram.	

No. NH-14013/12/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 866 (E), dated the 1st April, 2013.